

परियोजना विवरण :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेडी-मणजुली मोटर मार्ग के किमी 6 हेमी 2-4 से चौरीखाल-सिरवाडी-काण्डा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर पृष्ठ संख्या...11...13...पर संलग्न की गयी है।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर


अधिशायी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

प्रसंग

एम0एल0 टोकिंग
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

विषय

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 21 जून 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 08 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

संदर्भ

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, शे0का0, लोक निर्माण विभाग टिहरी द्वारा सलान विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के 03 कार्यों के आगमनो जिनकी लम्बाई 28.50 किमी0 तथा कुल लागत ₹0 176.84 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹0 176.84 लाख (₹0 एक करोड़ छियत्तर लाख चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करत हुए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0 0.10 लाख अर्थात् 08 कार्यो हेतु ₹0 0.80 लाख (₹0 अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवेदन में रखे जाने की भी राज्यापाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/III(2)/10-17(समान्य)/2008 दिनांक 17 जून 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगमन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शीडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगमन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करत समय पालन हरन सनिश्चित करे।

(v)- आगमन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उनी मद में किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किये जाने वाले कार्य उत्तराखण्ड गेक्वैरमेंट सलम-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इनके अतिरिक्त बाजार मैन्युअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करत समय या आगमन मणित कता समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगमन में एकमात्र धूमि अधिग्रहण दृष्टिकोण विविध शर्तों के सम्बन्ध में पथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लखनऊ-554 नडक का अनुदान का विवरण परिचय-04 जिला तथा अन्य सडके-33-नडक निम्न 512-04-नडक धन अनुदान का विवरण अधिग्रहण-00-24 दृष्टि निर्माण कार्य में वैकसीड अय-व्यय का निम्नांकित रूप में धनराशि से किया जायेगा।

Photo Copy Attested

Scanned by CamScanner

Assistant Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. - Kirtinagar

(क) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समकक्षता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(ख) वर्तमान के कार्य हेतु भवनकृत की जा रही पत्राशि का प्रारंभ 31-03-2020 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के खाफिश मालु विधीय वर्ग में अतिरिक्त पत्राशि की आवश्यकता होती है तो उसका कार्य समस्त मद में निर्धारण में रखी गई पत्राशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(ग) यदि स्वीकृत किए जा रहे कार्य में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान 80-22-सर्वसाधारण-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नाम डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 124/XXVII(2)/2019 दिनांक 19 जून, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
रायबत सचिव

संख्या-227/11(2)/19-10(एन0एल0ए0)/2017टी0सी0। तदुद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव भा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गाढ़े फाईल।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. - Kirtinagar

आज्ञा से,

(जीवम सिंह)
उप सचिव

(घनराशि लाख रु० में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	अनुमोदित लागत	वास्तु वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही घनराशि।
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत रिमोली मल्लवी से हाथ हलपड़ा-कल्याणी-किमखर-ओखली- मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	25.26	0.10
2	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत जगदी से कुटीली होते हुए जानी (किमखोला) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	47.25	0.10
3	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम पलेठी (डोबसियाली की), स्थित शिवालय तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	28.17	0.10
4	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के अन्तर्गत कककड पानी से बांगा पानी होते हुए तुर्नी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	14.87	0.10
5	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गहड में मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.50	31.34	0.10
6	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम डाब के उपग्राम पाटियों हेतु गोमुख से मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.00	3.38	0.10
7	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेडी- मनजुली मोटर मार्ग के कि०मी० 6 हे०मी० 24 से छोरीखाल-सिरवालडी-काण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	13.04	0.10
8	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में जीधर बैण्ड से माछनी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	13.53	0.10
योग:-		23.50	176.84	0.80

(कुल रु० अस्सी हजार मात्र)

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. - Kirtinagar

(जीने सिंह)
उप सचिव